

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
सारण नहर प्रमण्डल, एकमा।
Email:-scdivekama@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या – 01/2026-27

पत्रांक 454/एकमा,

दिनांक 26/05/2026

सारण नहर प्रमण्डल, एकमा के अन्तर्गत प्रमण्डलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/वितरणियों/अवर प्रमण्डलों/प्रशाखाओं के निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर एक या एक से अधिक बोलेरो/स्कार्पियों के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफाफे में दिनांक-03.06.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक सारण नहर प्रमण्डल, एकमा कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।


तकनीकी निविदा शर्त

1. वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
2. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी0एस0टी0, पैन, कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
3. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्रमांक संख्या	वाहन का प्रकार	ईधन रहित मासिक भाड़ा

नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :-

1. भाड़े पर वाहन मार्च 2027 तक लिया जायेगा। संतोषजनक सेवा रहने पर मार्च 2028 तक एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
 2. वाहन का मॉडल नवीनतम एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
 3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
 4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
 5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
 6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
 7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
 8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिदिन ईधन रहित देय होगा।
 9. वाहन के उपयोग के लिए लौंग बुक का संधारण वाहन मालिक की जबाबदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
 10. जिला प्रशासन छपरा, सारण द्वारा बोलेरो के निर्धारित दर से अधिक उद्धत किया गया दर मान्य नहीं होगा।
 11. वाहन का ईधनरहित (चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना नोटिस के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
 12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रतिलितर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
 13. खरीफ एवं रब्बी अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनों समय में अत्यधिक होता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
 14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजि अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।
 15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
- इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 14 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतमदर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक-03.06.2026 को 4:00 बजे अपराह्न में वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।
- शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।


26.5.26
कार्यपालक अभियंता,
सारण नहर प्रमण्डल, एकमा।


पत्रांक 454/एकमा,

दिनांक 26/05/2026

प्रतिलिपि :-

सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी,
हेतु समर्पित। अनुरोध है कि दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशन करने की कृपा करें।

जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई


26.05.26
कार्यपालक अभियंता,
सारण नहर प्रमण्डल, एकमा।